बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेगूसराय।

Email :- eercd.begusarai2011@gmail.com, Mob-9470001286

Letter No. :-

Date : / /2020

(बेगूसराय जिला अन्तर्गत, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के पथों के किनारे अवस्थित सभी पेट्रोल पम्प मालिक जिनके NOC की अवधि समाप्त होने वाली है या हो चूँकी है उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना)

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के नियत्रांधीन पथों के किनारे अधिष्ठापित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) संचालक जिनके पेट्रोल पम्प की विभाग द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण–पत्र (विदित हो कि NOC की मान्यता अवधि मात्र 5 वर्ष है) की अवधि समाप्त होने वाली है या हो चूँकि है, वैसे सभी पेट्रोल पम्प संचालक/मालिक को सूचित किया जाता है कि विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक 1921 (एस0) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेगूसराय के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क कर अपने–अपने रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) का निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क के साथ दंडस्वरूप राशि जमा कर नवीकरण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर पथ निर्माण विभाग से दी गई NOC रद्द करने हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं संबंधित तेल कम्पनी को वांछित कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। पथ निर्माण विभाग से दी गई NOC रद्द होने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग के पथों पर आपके पेट्रोल पम्प हेतु पहुँच पथ उपयोग की अनुमति नहीं रहेंगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

ह0/–
कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय।

ज्ञापांक .... दिनांक........................

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय।

ज्ञापांक 328 दिनांक 16.03.2020

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

16.3.2020

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय।

16/3/2020 16.3.20 Subodh 16.03.20